(घ) क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ज्ञापन में दिगा और गोलघर गोदामों में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :–

(1) बुरा व्यवहार, (2) घटिया किस्म के गेहूं और चावल की सप्लाई और (3) कम तौल देना । ज्ञापन में खाद्यान्न सम्भालने और परिवहन ठेकेदार के कर्मचारियों के विरुद्ध भी आरोप लगाये गये थे ।

(घ) और (ङ). भारतीय खाद्य निगम ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी । यह ज्ञात हुआ था कि बुरे व्यवहार का कोई पक्का प्रमाण नहीं था । उचित मूल्य की दुकानों को केवल 'ए' और 'बी' किस्मों का गेहूं और औसत उचित किस्म का चावल दिया गया था । राज्य के तौल और माप विभाग ने गोदाम में प्रयुक्त बट्टों और तराजों की जांच की और उन्हें ठीक ही पाया । भारतीय खाद्य निगम द्वारा गयी जांच से यह भी पता चला कि ठेकेदारों के कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हुए थे । तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि 1968 में टैस्ट चैक के आधार पर बिहार सरकार के तौल और माप विभाग ने कम तौल देने के लिये भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध केस दायर किया था और वह केस न्यायाधीन है ।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, पटना के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच, समझौता

5764. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान पटना, में श्रमिकों की भर्ती के बारे में 18 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपर्युक्त संस्थान के अधिकारी बर्खास्त किये गये श्रमिकों को बहाल करने के बजाय नये श्रमिक नियुक्त कर रहे हैं ; यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ श्रमिकों को बेलदारों के रूप में कार्य करने के लिये बहाल किया गया है यदि हां, तो इस प्रकार कितने पुराने श्रमिक बहाल किये गये हैं ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये सभी पुराने श्रमिकों को बहाल करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, पटना के शस्य वैज्ञानिक के कार्यालय में उनके तथा अनुसंधान केन्द्र के नैमित्तिक मजदूरों के एक प्रतिनिधि के मध्य 10 जून, 1969 को श्रमिक प्रवर्तन अधिकारी की उपस्थिति में विचार-विमर्श हुआ था । विचार विमर्श के नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या L. T.—3147/70]

विचार-विमर्श के नोट के आधार पर, भर्ती की निश्चित तिथि को आने वाले नैमित्तिक मजदूरों को भर्ती कर लिया जाना था, अनुसंधान केन्द्र का कार्य पूर्णत: सामयिक है और जब आवश्यकता होती है तभी कामगरों को नियुक्त कर लिया जाता है ।

वापिस आने वाले सभी कामगरों को नियुक्त कर लिया गया था । अत: अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जैसा ऊपर बताया जा चुका है, नैमित्तिक मजदूरों को मौसम की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किया जाता है, अत: भावी मौसमों में नियुक्त किये जाने वाले मजदूरों की संख्या को पहले ही निश्चित नहीं किया जा सकता है । फिर भी, 10-6-69 को किये गये उपर्युक्त निर्णय के आधार पर, भावी मौसमों में जो भी पुराने कामगर समय पर आ जायेंगे, उन्हें नियुक्ति में नये कामगरों की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी ।

New Building for RMS at Patna

5765. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a new building is being constructed by Railway at Patna Junction for Patna R.M.S. and if so, the proposed space available for Patna R.M.S. in that new building;

(b) whether any provision for tiffin room, canteen and rest room for Patna R.M.S. has been provided in the said new building ;

(c) whether there is a proposal to accommodate office of the Superintendent of R.M.S. also in the said new building ; and

(d) whether there is a proposal to accomodate cycle shed and H.R.C. and S.R.C. Offices in the said proposed building ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes. Over 11,000 Sq. ft.

(b) Provision for Tiffin room and Canteen exist in the proposed building. Rest Room is not admissible, hence no provision has been made for it.

(c) Yes.

(d) Provision for accommodating the Head Record Office exist in the proposed building and the Sub Record Office will be merged in the H.R.O. office. No provision for Cycle shed has been made since a public cycle stand exists near the proposed R.M.S. building.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक कार्यालय

5766. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है तथा वे कहां कहां है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कार्यालयों में से कुछ प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रादेशिक आयुक्तों के रूप में काम कर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों के नाम क्या हैं और उन के कार्यालय कहां कहां पर स्थित हैं, और

(ग) इन प्रादेशिक आयुक्तों में से प्रत्येक की सेवा की अवधि को कितना बढ़ाया गया है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से संबंधित है । भविष्य निधि अधिकारियों ने निम्न सूचना भेजी है :—

(क) पन्द्रह प्रादेशिक कार्यालय है जो कि हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, चण्डीगढ़, शिलांग, नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, इन्दौर, बम्बई, बंगलौर, भुवनेश्वर, जयपुर, मद्रास, कानपुर, और कलकत्ता में स्थित हैं ।

(ख) जी हां, हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, चण्डीगढ़, जयपुर और कलकत्ता में,

(ग) इन अफसरों का सामान्य सेवाकाल तीन वर्ष है । केवल पटना के एक अधिकारी का कार्य-काल तीन वर्ष की अवधि के बाद एक साल के लिये कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिये बढ़ा दिया गया है ।

Need for Periodical Training of Officials of Community Development

5767. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article published